

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-01, दिनांक-31/10/19

संख्या-1/श्रम वि०ई०-7-7003/2014 श्र०सं०...205.../विभागीय पत्रांक 2386, दिनांक 14.10.19 द्वारा श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण (शिक्षु), मुजफ्फरपुर को दिनांक 15.10.19 से 14.12.19 तक उपार्जित अवकाश में प्रस्थान करने की अनुमति दी गयी है।

श्री कुमार के अवकाश अवधि में 1. सहायक निदेशक, प्रशिक्षण (शिक्षु), मुजफ्फरपुर, 2. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर पश्चिम एवं 3. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर (उग्रवाद प्रभावित) का अतिरिक्त प्रभार श्री रामाश्रय महतो, उप निदेशक, प्रशिक्षण, दरभंगा को दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई०-7-7003/2014 श्र०सं०...205.../पटना-01, दिनांक-31/10/19

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०का०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।